

# आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक-ता० ..... से ..... तक  
 जिला ..... सं० 3502 सन् 20 1919-20  
 केस का प्रकार सीमांकन

आदेश की क्र०स० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3


आवेदन नं० 129 फ गिर्जा अण्डुलगिर्जा  
 जमाल के लखवा थाना सिपराटांड जिला पलामु  
 के मुन्नी गणी हेतु आवेदन पत्र दाखल किया  
 है आवेदन पत्र में हलका नमर्नपारी एवं  
 अंचल विभाजन का कार्य प्रविलेदन के  
 प्रविलेदन किया है कि मुन्नी का अण्डुलगिर्जा  
 के नाम पर चल रहा है मुन्नी का विवरण निम्न  
 प्रकार है

मुन्नी का विवरण

अंश	खंदा	फुट	खंदा
कैलखवा	44	589	0.30 स्त
		B	
		406	0.12 स्त
		387	0.15 स्त
		151	0.30 स्त
			<u>0.87 स्त</u>

आवेदन को आदेश दिया जाता है कि एक दिन  
 का सीमांकन शुल्क (1000) एक हजार रु के नाम  
 और नई नया नमर्नपारी रसीद प्राप्त कर के

P-355  
3/3/20  
P-364  
12/3/20

  
 अंचल अधिकारी  
 पंजी

आदेश की क्र०स० और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

अ  
गई  
बारे में  
तारीख

1

2

3

अभिलेख उपलब्धि अचल अर्थ के द्वारा  
नापी कर नापी प्रतिवेदन प्राप्त किये हैं नापी  
के स्थल पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आपत्ति  
दर्ज नहीं किया गया नापी शांति पूर्ण तरीके  
से सम्पन्न हुआ वर पश्चात अभिलेख की  
कारवाही ले 5 किया जाता है

अचल अधिकारी  
पाकी

पुस्तक  
कॉपी


क्र.सं.	विवरण	मूल्य
1	...	...
2	...	...
3	...	...
4	...	...
5	...	...
6	...	...
7	...	...
8	...	...
9	...	...
10	...	...
11	...	...
12	...	...
13	...	...
14	...	...
15	...	...
16	...	...
17	...	...
18	...	...
19	...	...
20	...	...
21	...	...
22	...	...
23	...	...
24	...	...
25	...	...
26	...	...
27	...	...
28	...	...
29	...	...
30	...	...
31	...	...
32	...	...
33	...	...
34	...	...
35	...	...
36	...	...
37	...	...
38	...	...
39	...	...
40	...	...
41	...	...
42	...	...
43	...	...
44	...	...
45	...	...
46	...	...
47	...	...
48	...	...
49	...	...
50	...	...

अधिकारी का हस्ताक्षर

...



मसूदा नाम - कैलहवा  
 भागा - पंकी  
 भागा नं - 574  
 पैमाना 16" = 1 मिल  
 जिला - पलाश



1. आवैदक का लॉट नं 151 का वचन भूमि लाल रंग से दिखाया गया है
2. कलीम मिर्जा का लॉट नं 151 में हवल भूमि डरा रंग से दिखाया गया है
3. सरफुद्दीन मिर्जा का लॉट नं 151 में हवल भूमि पिला रंग से दिखाया गया है
4. आवैदक का लॉट नं 387 की हवल भूमि लाल रंग से दिखाया गया है
5. आवैदक का लॉट नं 406 में हवल भूमि लाल रंग से दिखाया गया है
6. रंमा जउद्दीन मिर्जा का लॉट नं 406 में हवल भूमि डरा रंग से दिखाया गया है

Mohau  
 18/02/2020  
 ऑफिस इमीन  
 पंजी



### श्रीमान अक्षयपहाधरी पांडे (पता)

वष:- निर्माण के संबंध में

महोदय,

अधुना विषय के संबंध में कहना है। कि शंकर अशोक पांडे का निर्माण वाद सं 02 के अंतर्गत में श्रीमान के आदेशानुसार अर्पण अर्पण भूमि, पिता - अर्पण भूमि अर्पण - केवल चाना - पांडे के निवासी के अर्पण - केवल के खाना नं 44 प्लॉट नं 151, 387, 406 तथा महेडी भूमि को निर्माण करने हेतु स्वयं पर जल एवं आर्पण का भूमि का अर्पण देखा एवं पाया कि आर्पण की भूमि बंदोवस्ती से प्राप्त है। आर्पण का अर्पण एवं देखा है अनुसार जल एवं नग्ना से निर्माण किया। निर्माण के क्रम में पाया कि आर्पण के खाना 44 प्लॉट नं 151 को बंदोवस्ती देखा 3000 में से 2000 भूमि आर्पण का अर्पण में भूमि है। एवं 2 1/2 डी० भूमि अर्पण भूमि, पिता - महेडी भूमि के अर्पण में भूमि है। अर्पण देखा 3 1/2 डी० भूमि अर्पण भूमि, पिता - केवरी भूमि के अर्पण में भूमि है। अर्पण भूमि, पिता - महेडी भूमि देखा अर्पण भूमि 15 डी० भूमि बंदोवस्ती से प्राप्त है एवं अर्पण भूमि, पिता - महेडी भूमि देखा अर्पण भूमि 15 डी० भूमि के निर्माण पर पत्थर गड़वा दिया एवं खाना नं 44 देखा 15 डी० की भूमि को निर्माण कर पत्थर गड़वा दिया एवं खाना नं 44 प्लॉट नं 406 देखा 0.12 डी० भूमि से निर्माण किया। एवं पाया कि आर्पण अर्पण भूमि, पिता - अर्पण भूमि के अर्पण में 1 1/2 डी० भूमि अर्पण में है अर्पण भूमि का देखा 2 1/2 डी० देखा अर्पण भूमि, पिता देखा अर्पण भूमि का अर्पण में भूमि है आर्पण का खाना नं 44 प्लॉट नं 151 देखा 2000 भूमि को निर्माण कर देखा। निर्माण की गई भूमि को देखा नग्ना में जाय है एवं देखा देखा है। एवं अर्पण भूमि के अर्पण के भूमि देखा 2 1/2 डी० देखा नग्ना में देखा है एवं देखा देखा है एवं देखा प्लॉट में 3 1/2 डी० भूमि अर्पण भूमि, पिता - केवरी भूमि की भूमि को पिता देखा देखा देखा है। खाना नं 44 प्लॉट नं 387 देखा 15 डी० आर्पण का भूमि का निर्माण किया एवं देखा पाया जो देखा नग्ना में जाय है एवं देखा देखा है। खाना नं 44 प्लॉट - 406 देखा 12 डी० भूमि को निर्माण किया आर्पण के अर्पण में 1 1/2 डी० भूमि निर्माण कर देखा नग्ना में जाय है एवं देखा देखा है। अर्पण भूमि देखा अर्पण भूमि के अर्पण में 2 1/2 डी० भूमि देखा है एवं देखा देखा है। निर्माण के समस्त उपस्थित ग्रामों तथा जीएचएल देखा का अर्पण एवं अर्पण का निर्माण अर्पण के रूप में किया गया।

आर्पण एवं अर्पण के बीच विवाद से भयानक है इसीलिए आर्पण एवं अर्पण को नॉटिस देकर अर्पण का गैर कर्तव्य एवं अर्पण के अर्पण अर्पण अर्पण देखा या देखा है।

शं: श्रीमान के देखा में अर्पण अर्पण देखा अर्पण।

Mohar  
18/02/2020  
शंकर अशोक पांडे